उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-16/2024/1101/ तीस-4-2024-30-4099(099)/154/2023
लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2024

अधिसूचना

चूंकि अधिसूचना संख्या-587(2)/79-वि-1-2023-1-क-21-2023, दिनांक 08 दिसम्बर 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) को जनसाधारण की सूचना के लिये सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है;

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 08 दिसम्बर 2023 को ऐसे दिनांक के रूप में नियत करते हैं जिस दिनांक को पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2024/1101(1)/तीस-4-2024-30-4099(099)/154/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

संख्या-16/2024/1101(2)/तीस-4-2024-30-4099(099)/154/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 06 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

संख्या-16/2024/1101(3)/तीस-4-2024-30-4099(099)/154/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार।
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag- 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.16/2024/1101/ XXX-4-2024-30-4099(099)/154/2023, dated 06 August, 2024.

Notification

No.16/2024/1101/XXX-4-2024-30-4099(099)/154/2023

Lucknow: Dated 06 August, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 (U.P. Act no.22 of 2023) has been published in the Official Gazette for information of the general public vide Notification no. 587(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-21-2023, dated 8th December, 2023;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (3) of section (1) of the aforesaid Act, the Governor is pleased to appoint the 8th day of December, 2023 as the date on which the provisions of the aforesaid Act shall be deemed to have come into force.

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।